कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

दूरभाष क. 07824–222129, फैक्स क. 07824–222029
E-Mail bemetara.cg@gov.in

।। आदेश ।।

क्रमांक / 772 / ए.डी.एम. / 2021 बेमेतरा दिनांक 25 / 05 / 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 8670 / अ.जि.द. / कोविड–19 / 2021 बेमेतरा दिनांक 30.03.2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 108 / ए.डी.एम. / कोविड–19 / 2021 बेमेतरा दिनांक 08.04.2021, आदेश क्रमांक / 418 / ए.डी.एम. / कोविड–19 / 2021 बेमेतरा दिनांक 24.04.202 व आदेश क्रमांक / 597 / अ.जि.द. / कोविड–19 / 2021 बेमेतरा दिनांक 15.05.2021 द्वारा बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे।

बेमेतरा जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 08 प्रतिशत कम हो जाने पर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन (लॉकडाउन) की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुये छ.ग. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बेमेतरा जिले में आदेश क्रमांक / 597 / ए.डी.एम. / 2021 / बेमेतरा दिनांक 15 / 05 / 2021 को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये राजस्व जिला बेमेतरा की सीमा के अंतर्गत निम्नानुसार आदेश पारित की जाती है:–

क्र.	दुकानों / संस्थानों की कार्यावधि	दुकानों / संस्थानों का वर्ग
1	प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक	सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर
2	नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 6.00 बजे तक	रेस्टोरेंट / होटल / ढाबा में टेक–अवे एवं होम डिलीवरी, (होटल में ठहरे हुये आगंतुक व्यक्ति हेतु In House Dining की व्यवस्था की जा सकेगी)
3	नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर (ग्रामीण अंचल / राष्ट्रीय राजमार्ग में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक	रेस्टोरेंट / होटल / ढाबा में टेक–अवे एवं होम डिलीवरी

1. **शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।**
2. समाचार पत्रों का वितरण प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक तथा संध्याकालीन समाचार पत्रों का वितरण सायं 05:00 बजे से 06:30 बजे तक किया जा सकेगा।
3. सभी पान / सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट–फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जा सकेगा तथा Appropriate Covid behaviour का पालन अनिवार्य होगा। ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फैलाया जाये और न ही किसी प्रकार की अस्वच्छता हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।
4. **जिले की समस्त प्रकार के देशी / विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन संध्या 6.00 बजे तक होगा तथा इस बाबत पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेगें** तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. **सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / छबिगृह / सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।**

क्रमशः..02

Scanned with CamScanner

6. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
7. सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
8. सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे, **जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत प्रभावशील रहेगा।**
9. विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी तथा इन प्रयोजन हेतु कार्यक्रम आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. जिले में सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान विद्यार्थीयों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थीयों को ही निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी।
11. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
12. वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा–चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो–रूम/रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें तथा Appropriate Covid behaviour का पालन अनिवार्य होगा।
13. सभी दुकानों में ग्राहकों के खड़े होने हेतु स्थल चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा धूप आदि से बचाव के उपाय किया जाना आवश्यक होगा।
14. बेमेतरा जिले में कोविड –19 टीकाकरण के लिए "CG Teeka" पोर्टल में पंजीयन हेतु बनाये गये सुविधा केन्द्र में निःशुल्क पंजीयन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त "CG Teeka" पोर्टल में च्वाईस सेंटर को संचालन की अनुमति सायं 06:00 बजे तक होगी, जहां हितग्राही अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी.कार्ड., ड्राईविंग लाईसेंस आदि लेकर जा सकेगा, परंतु इन केन्द्रों में Appropriate Covid behavior, मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ केन्द्र की आई.डी. निरस्त की जा सकेगी।
15. प्रत्येक दुकान संचालक को अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव हेतु समयानुसार कोविड–19 संक्रमण की जांच व टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
16. समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खोली जा सकेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़–भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मास, मछली, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
17. ऑटो व टेक्सी की सेवायें जिले में उपलब्ध होगी तथा इनमें ड्रायवर के अतिरिक्त अन्य दो सवारी ही एक बार में बैठ सकेगें।

क्रमशः...03

Scanned with CamScanner

18. जिले में संचालित मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, पी.डी.एस. दुकानें अपने निर्धारित अवधि में संचालित रहेंगी अर्थात ये दुकानें प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।

19. ई–कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी।

20. बेमेतरा जिले के अंतर्गत सभी कार्यालय आज दिनांक से सामान्य रूप से संचालित रहेगें तथा आम जनता भी शासकीय विभागों में आवश्यकतानुसार उपस्थित होकर Appropriate Covid behaviour का पालन करते हुये अपने कार्यो का संपादन करा सकेंगे। कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी सामान्य रूप से उपस्थित हो कार्यो का निष्पादन करेगें।

21. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेंगी तथा लॉकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

22. इसी तरह शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित श्रम मूलक निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य यथावत Appropriate Covid behaviour का पालन करते हुये जारी रहेंगे।

23. सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ग्राहको को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

24. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीद्दारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।

25. प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंमेन्ट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

26. यदि किसी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।

27. सभी एसडीएम/एसडीओपी/तहसीलदार एवं थाना प्रभारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सतत भ्रमण कर निगरानी रखेगें। उल्लंघन की स्थिति में समुचित वैधानिक कार्यवाही करेगें।

28. सभी इंसीडेंट कमांडर (SDM)/तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।

29. **प्रत्येक दिवस सायं 06:00 बजे से अगली सुबह 06:00 बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू प्रभावशील होगा। इस अवधि में अतिआवश्यक मेडिकल ईमरजेंसी के अलावा आवागमन प्रतिबंधित होगा।**

30. इस आदेश द्वारा लॉकडाउन का आदेश शिथिल किये जाने से अब **बेमेतरा जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को ई–पास/मैनुअल पास की आवश्यकता नहीं होगी।**

31. **सभी शासकीय व निजी संस्थाओं में बगैर मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित होगा तथा कार्यालय/संस्थाओं में हैण्ड सैनेटाईजर व मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखा जाना आवश्यक होगा।**

32. मीडियाकर्मीयों द्वारा यथा संभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य होने पर बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त पालन सुनिश्चित करेंगे।

33. **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दुओं पर पृथक से आदेश जारी किया जा सकेगा।**

किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा।

क्रमशः..04

Scanned with CamScanner

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(शिव अनंत तायल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/ 772 /ए.डी.एम./2021 बेमेतरा,दिनांक 25/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर अवलोकनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग जोन दुर्ग को अवलोकनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त संदर्भित आदेशों के पालन हेतु निर्देशित करें तथा आदेश अवधि में पूर्ववत प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन का पालन कृपया सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही बाबत्।
6. अपर जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। आदेश अवधि में पूर्ववत प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन का पालन कृपया सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही बाबत्।
10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बेमेतरा/बेरला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी/औषधि निरीक्षक सर्व जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारी संबंधित शिकायतों के सघन जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
13. तहसीलदार सर्व .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। **टीम (राजस्व, नगर पालिका, पुलिस) बनाकर अवधि प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सतत निरीक्षण करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्था को सील करने की कार्यवही करें।**
14. सर्व थाना प्रभारी जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। **टीम (राजस्व, नगर पालिका, पुलिस) बनाकर अवधि प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सतत निरीक्षण करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्था को सील करने की कार्यवही करें।**
19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेमेतरा एवं समस्त नगर पंचायत, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **टीम (राजस्व, नगर पालिका, पुलिस) बनाकर अवधि प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सतत निरीक्षण करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्था को सील करने की कार्यवही करें।**
15. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. उप संचालक, जन सम्पर्क विभाग, जिला बेमेतरा को प्रेस रिलीस जारी कर, समस्त दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क प्रसारित हेतु।
17. स्टेनो टू कलेक्टर जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
18. कार्यालयीन गार्ड फाईल हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner